भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3417

जिसका उत्तर शुक्रवार, 05 अगस्त, 2022 को दिया जाना है

दिल्ली उच्च न्यायालय में बौद्धिक संपदा अधिकार प्रभाग

3417. डॉ. संजय जायसवाल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली उच्च न्यायालय में बौद्धिक संपदा प्रभाग (आई.पी.डी.) की स्थापना के संबंध में प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या उक्त आई.पी.डी. की स्थापना और दिल्ली उच्च न्यायालय पेटेंट नियमों के संबंध में प्रक्रिया संबंधी नियम बनाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय आई.पी.डी. डिवीजन बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आई.पी.ए.बी.) से लंबित बौद्धिक संपदा मामलों को पूरा करने के लिए प्रभावी होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का देश के अन्य उच्च न्यायालयों में और अधिक आई.पी. प्रभाग बनाने का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : दिल्ली उच्च न्यायालय, मूल पक्ष में तारीख 07.07.2021 को बौद्धिक संपदा प्रभाग का सृजन किया गया था और वर्तमान में तीन न्यायालय आईपी प्रभाग में अभिहित हैं ।

(ख) : दिल्ली उच्च न्यायालय बौद्धिक संपदा अधिकार प्रभाग नियम, 2022 तारीख 24.02.2022 की अधिसूचना संख्या 13/नियम/डीएचसी और तारीख 11.04.2022 के

शुद्धि पत्र संख्या 63/नियम/डीएचसी द्वारा अधिसूचित किए गए थे और पेटेन्ट वाद को विनियमित करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के नियम, 2022 पहले ही विरचित किए जा चुके है और तारीख 24.02.2022 के अधिसूचना संख्या 14/नियम/डीएचसी द्वारा अधिसूचित किए गए थे ।

(ग) : जी हां, आईपीएबी से प्राप्त मामलों को अलग किया जा रहा है और उन्हें उचित तरीके से क्रमांकित करने के पश्चात् रोस्टर पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जा रहा है ।

(घ) और (ङ) : जी नहीं। देश में उच्च न्यायालयों के स्तर पर ऐसे मामलों के कार्यभार और संबंधित राज्य में शुरु होने वाले ऐसे मालमों की आवृत्ति पर आधारित आईपी प्रभाग का सृजन केवल संबंधित उच्च न्यायालयों पर निर्भर करता है ।

****